न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 15/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
जेठाराम पुत्र धुलाराम जाति सीरवी निवासी निम्बली मांडा तहसील मा0जं0		सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8/12/2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 15/2016 में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा दिनांक 10.05.2017 को रेकर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम निम्बली मांडा के खसरा नम्बर 167 व 165 क्रमशः गै0मु0 रास्ता एवं नदी पर अतिक्रमण बताया गया है एवं इस तथ्य से जाहिर किया कि खसरा नम्बर 166 के खातेदार द्वारा तारबन्दी कर अतिक्रमण किया गया है, जबकि अपीलाण्ट द्वारा ऐसा अतिक्रमण ही नही किया गया। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 20.12.2015 से होती है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि खसरा नम्बर 130 के खातेदार अमराराम पुत्र वेनाराम, भुण्डाराम पुत्र पेमाराम ने रास्ते की भूमि पर कब्जा किया है। इस प्रकार सीमांकन से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि खसरा नम्बर 166 के खातेदार द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में भी यह अंकित किया कि खसरा नम्बर 165 व 167 की रिपोर्ट पूर्व एवं बाद की रिपोर्ट में असामंजस्य है, इस स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को सर्वे टीम गठित कर वास्तविक रिपोर्ट तलब की जानी थी, जो नही की जाकर मात्र खसरा नम्बर 130 के खातेदार को लाभ पहुॅचाने की नियत से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इस आदेश की आड में अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में लगाए गए सीमेन्ट के पिलर एवं तारबन्दी को तोड दिया गया एवं फसल को खुर्द बुर्द कर दिया गया। इस पर अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश की जानकारी हुई। अपीलाण्ट के अन्य सह खातेदार चिमनाराम, नारायण पि0 पुखाजी सिरवी जो कि व्यावसायिक सिलसिले में बेंगलोर रहते है एवं उनके विरूद्ध अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच किये अपीलाण्ट एवं अन्य सह खातेदारों के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम निम्बली मांडा तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 167 रकबा 0.30 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता तथा खसरा नम्बर 165 रकबा 1.30 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नदी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व

अति० जिला कलक्टर, पाली

अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम निम्बली मांडा तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 167 रकबा 0.30 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता तथा खसरा नम्बर 165 रकबा 1.30 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नदी की भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर तारबन्दी दर्शाते हुए पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाण्ट जेठाराम पुत्र धुलाराम, लच्छाराम, चिमनाराम, प्रतापराम, नारायण पि0 पुका, हेमाराम पुत्र वना जातिगण सिरवी निवासीगण निम्बली मांडा को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किये गये है, वह नोटिस समस्त अप्रार्थीगण के नाम जारी किया गया है, जो एकमात्र अपीलाण्ट जेठाराम से तामील कराया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गैरसायल/अपीलाण्ट द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया है, उसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में विवेचित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है तथा उसमें यह स्पष्ट अंकित किया कि राजस्व लोक अदालत में मौका निरीक्षण किया गया है तथा सिलसिलेवार कार्यवाही एवं प्रक्रिया अपनाते हुए सीमाज्ञान करवाया गया है तथा रास्ते एवं नदी की भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने के कारण धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 15/2016 सरकार बनाम लच्छाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 8/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली